

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1334/2013/बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट द्वितीय,
झुन्झुनूं

...अपीलार्थी

बनाम
मै. रामचन्द्र मोहनलाल सोमानी
श्रीडूंगरगढ़।

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :16.03.2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 448/आरवैट/2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.02.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-घट द्वितीय, वृत-झुन्झुनूं (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.12.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, झुन्झुनूं द्वारा वाहन सं आरजे-23-जी-1646 को चैक करने पर उसमें 400 बोरी मूंगफली भरी पाई गयी जिसके संबंध में मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल्टी एवं अपीलार्थी फर्म द्वारा जारी वेट इनवॉइस न. 152 दिनांक 08.12.11 एवं कृषि उपज मंडी समिति, श्रीडूंगरगढ़ की विक्रय पर्ची क्रमांक 26/126 दिनांक 08.12.11 प्रस्तुत की। प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया करापवंचन से संबंधित मानते हुए जांचकर्ता अधिकारी द्वारा वाहन को रोका गया एवं जांच हेतु सम्मन जारी किया गया। फर्म भागीदार एवं फर्म मैनेजर ने उपस्थित होकर जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष वेट इनवॉइस पुस्तिका विक्रय पर्ची बुक एवं निर्यात प्रतिवेदन बुक प्रस्तुत की किन्तु लेखापुस्तके लेखाकार के बाहर होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि प्रस्तुत बिल्टी पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं किए गये एवं निर्यात प्रतिवेदन जो 3 प्रतियों में जारी किया जाता है उसमें कार्बन प्रति को मूल प्रति के रूप में जारी किया गया एवं साथ ही वाहन चालक द्वारा माल भरने के स्थान

लगातार.....2

से संबंधित दिये गये बयान एव जांच के समय फर्म मैनेजर द्वारा दिये गये बयानों में अंतर होने के आधार पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा धारा 76(6) में अभियोग बनाते हुए अभियोग दर्ज किया गया तथा सक्षम अधिकारी को प्रकरण उचित माध्यम से स्थानान्तरण किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसके संबंध में फर्म मैनेजर द्वारा शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा 400 बोरी मूंगफली कीमतन रु 3,37,400/- को करापवपंचन की नियत से परिवहनित मानते हुए उस पर 5 प्रतिशत की दर से कर रु 16,870/- एवं माल की कीमत की 30 प्रतिशत से धारा 76(6) में शास्ति रु 1,01,220/- आरोपित करते हुए कुल मांग रु 1,18,090/- कायम की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध कर एवं शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति तभी आरोपित की जा सकती है जबकि धारा 76(2) के अनुसार आवश्यक प्रपत्र यथा बिल, बिल्टी आदि प्रस्तुत नहीं किये जावे। इस प्रकरण में चालक द्वारा जांच के समय माल से संबंधित बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत कर दिये थे एवं इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित विक्रय पर्ची भी प्रस्तुत कर दी गयी जो कि धारा 76(2) में आवश्यक नहीं थी, उसके बावजूद केवल तकनीकी कमियां दर्शाते हुए कि माल चालक द्वारा दर्शाये स्थान की बजाय अन्य स्थान से भरा गया, अथवा विक्रय पर्ची पीली रंग वाली पर्ची में जारी की गयी है अथवा बिल्टी पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है। उक्त आधार यह तय नहीं करते कि माल का परिवहन करापवंचन की नियत से किया जा रहा था। माल के लिए आवश्यक मुख्य प्रपत्र बिल एवं बिल्टी को जांचकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य एवं बोगस करार नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति का आरोपण विधिविरुद्ध किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष चालक द्वारा माल से संबंधित वेट इनवाइस एवं बिल्टी तथा विक्रय पर्ची आदि मौके पर ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। तत्पश्चात संदेह होने पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच करवाये जाने पर विक्रय पर्ची से संबंधित कुछ कमियों को उजागर किया। इसके अतिरिक्त माल की खरीद चालक द्वारा दर्शाये गये स्थान से नहीं की जाकर मैनेजर द्वारा दर्शाये गये स्थान से खरीदा जाना दर्शाया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वेट कर अधिनियम की धारा 76(2) में आवश्यक प्रमुख प्रपत्र बिल एवं बिल्टी एवं जहां आवश्यक हो घोषणा पत्र ही प्रस्तुत करने पर उसकी पालना सुनिश्चित हो जाती है उसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम की विक्रय पर्ची प्रस्तुत करना इस अधिनियम में आवश्यक नहीं है जो कि कृषि उपज मंडी समिति के लिए आवश्यक प्रपत्र है। इसके अतिरिक्त वाहन में लदे माल को किस स्थान से खरीदा गया इस संबंध में दिए गये विरोधाभाषी बयानों का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा आगे जांच करते हुए नहीं किया गया जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जारी नोटिस के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण असत्य है। अतः इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परिवहनित माल वेट कर चोरी की नियत से परिवहनित किया जा रहा था जिसके आधार पर धारा 76(6) में शास्ति आरोपित की जा सके। धारा 76(6) में शास्ति दो आधारों पर ही आरोपित की जा सकती है प्रथम धारा 76(2) के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र जांच के समय प्रस्तुत नहीं किये जावे एवं द्वितीय प्रस्तुत प्रपत्र और दस्तावेज को बाद जांच जांचकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य एवं बोगस साबित किया जावे। इस प्रकरण में दोनों ही परिस्थितियाँ मौजूद नहीं होने के कारण केवल कर चोरी के संदेह के आधार पर ही परिवहनित माल पर कर एवं शास्ति रु 1,18,090/- आरोपित किया गया है जो कि अनुचित है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए शास्ति/कर का आरोपण किया जाना पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के मद्देनजर व्यवहारी की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्व की अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।
8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।

↓
(मदन लाल मालवीय)
सदस्य